.2021 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित खसरो का सीमांकन अनुसार पत्थरगढी करने का आदेश फरमावें। वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा विवादित आराजी ग्राम लर्वरा कला के खसरा नं: 1179, 1182, 1183 व 1570 की कृषि भूमि आई हुई है। तहसीलदार बावड़ी की सीमांकन रिपोर्ट अनुसार भूमि की पत्थरगढी प्रार्थीगण करवाने चाहते है, वकील प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया।

प्रार्थीगणों ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि उपरोक्त वर्णित अप्रार्थीगणों के खसरों व प्रार्थीगणों के खसरो में सीमा को लेकर विवाद है।

पत्रावली के अवलोकन से यह बात नि:सन्देह जाहिर होती है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी बाद सीमांकन करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.02.23 16:15:23 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।
	आदेश
	प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 LR. ACT. स्वीकार किया जाता है। वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील शुदा होने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुए पत्रावली में ग्राम लवेरा कला के खसरा नं. 1179, 1182, 1183 व 1470 की पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण चाहते है प्रतिवादीगणों की तरफ से आज भी कोई उपस्थित नहीं। पूर्व में प्रतिवादीगण 1 लगायत 17 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। शिविर दौरान प्रशासन गांवों के संग शिविर में सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग की बहस सुनी गई। पत्रावली पर तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त रिपोर्ट सीमांकन रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील ने सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढ़ी आदेश हेतु निवेदन किया। सीमांकन रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की सीमांकन

सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट व राजस्व रिकार्ड के अनुसार सड़क की तरमीम व मौके पर सड़क की स्थिति में अन्तर के अनुसार पाया गया है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने मौका रिपोर्ट सीमांकन के अनुसार पत्थरगढ़ी आदेश करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी वकील की बहस व सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग की बहस पर मनन किया गया प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 111, 128 LR ACT आंशिक स्वीकार किया जाकर सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किए जाते है। साथ ही सहायक अभियन्ता PWD को आदेशित किया जाता है कि सीमांकन के अनुसार सड़क का निर्माण कार्य करवाया जावे। प्रार्थीगणों व अप्रार्थीगणों को आदेशित किया जाता है कि जब तक सड़क की मौका स्थिति से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ना ही सड़क को रोकेंगे [illegible] ना ही स्वयं अथवा अन्य से [illegible] करवायेंगे। यदि प्रार्थीगण / अप्रार्थीगण स्वयं अथवा अन्य किसी से सीमांकन अनुसार सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व चलते हुए सड़क मार्ग को रोका जाता है तो यह आदेश निरस्त समझा जावेगा	

सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.02.23 16:15:23 IST
Reason: SelfAttested